दिनांक 09.07.2024
प्रेस विज्ञप्ति 12/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा काँवड़ यात्रा 2025 की सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रभावी यातायात प्रबन्धन के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देश

माननीय मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा कांवड़ यात्रा 2025 को सुरक्षित, सुगम एवं सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में **पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 श्री राजीव कृष्णा** द्वारा कांवड़ यात्रा को सुरक्षित एवं निर्विघ्न रूप से सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रभावी यातायात प्रबन्धन के सम्बन्ध में मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु दिशा-निर्देश दिये गयेः-

1- काँवड शिविरों / भण्डारों एवं काँवड़ यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत की गई व्यवस्था :-

- आगामी कांवड़ यात्रा को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए मुख्य काँवड़ मार्ग एवं महत्त्वपूर्ण स्थानों पर कुल **29,454 सीसीटीवी कैमरे**, **395 ड्रोन**, **1,845 जल सेवा केन्द्र**, **829 चिकित्सा शिविरों**, **1,222 पुलिस सहायता केन्द्र / कन्ट्रोल रूम** की स्थापना की गई है।
- काँवड़ शिविरों के प्रबंधकों से समन्वय स्थापित करके सुरक्षा के दृष्टिकोण से एंटी सेबोटाज चेकिंग करवाकर समस्त शिविरों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित करवाए गए है।
- पुलिस के समस्त अधिकारियों से लेकर थाना प्रभारियों तक के मोबाइल नंबर, यातायात डाइवर्जन स्कीम एवम् अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं को बारकोड के माध्यम से अखबारों में विज्ञापन, होर्डिंग, सोशल मीडिया इत्यादि के जरिए श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

2- काँवड यात्रा की सुरक्षा हेतु लगाया गया पुलिस बल :-

- कांवड़ यात्रा को सुरक्षित एवं सकुशल सम्पन्न कराए जाने हेतु कुल **587 राजपत्रित अधिकारी**, **2040 निरीक्षक**, **13,520 उपनिरीक्षक**, **39,965 मुख्य आरक्षी / आरक्षी**, **1,486 महिला उपनिरीक्षक**, **8,541 महिला मुख्य आरक्षी / आरक्षी**, **50 कम्पनी केन्द्रीय पुलिस बल / पीएसी** एवं **1,424 होमगार्ड्स** की ड्यूटी लगाई गई है।
- विशेष बलों जैसे RAF, QRT एवं एंटी टेरर स्क्वाड पुलिस बल की तैनाती भी की गई है।
- ड्यूटी में लगे आरक्षियों को **वीसी के ज़रिए** कावड़ यात्रा के समस्त निर्देशों एवं प्रबंधन के बारे में अवगत कराया गया है।

3- तकनीक के प्रयोग से मुख्यालय स्तर से Real Time मॉनीटरिंग :-

- काँवड़ यात्रा **मार्गो को सी०सी०टी०वी० कैमरे से आच्छादित किया गया है** । साथ ही काँवड़ यात्रा मार्गो पर **ड्रोन कैमरे एवं टीथर्ड ड्रोन से नियमित निगरानी की जाएगी एवं ड्रोन की वीडियो का लिन्क प्राप्त कर मुख्यालय स्तर से Real Time मॉनीटरिंग की जाएगी ।**

4- मुख्यालय स्तर से 24X7 मॉनीटरिंग :-

- सोशल मीडिया सेन्टर डीजीपी मुख्यालय में एक आठ सदस्यीय टीम का गठन किया गया है जो 24 घण्टे सतर्क रहकर कॉवड़ यात्रा से सम्बन्धित सोशल मीडिया पर प्राप्त होने वाली समस्त इनपुट को सम्बन्धित जनपद को प्रेषित कर भ्रामक खबरों का खंडन, अफवाह फैलाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही एवं तथ्यात्मक जानकारी सोशल मीडिया पर डलवाना सुनिश्चित करेगी । साथ ही सोशल मीडिया पर प्राप्त भ्रामक एवं अपत्तिजनक पोस्ट को सम्बन्धित सोशल मीडिया प्लेटफार्म से हटवाने की भी कार्यवाही करेगी ।
- डीजीपी मुख्यालय में स्थापित कन्ट्रोलरूम में भी आठ सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जो 24 घण्टे सतर्क रहकर इलेक्ट्रानिक मीडिया, यूपी-112 एवं अन्य समस्त माध्यमो से प्राप्त इनपुट की मॉनीटरिंग करेगी।

5- सोशल मीडिया के माध्यम से अंतरराज्यीय समन्वय :-

- कांवड़ यात्रा 2025 को सकुशल संपन्न कराने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली एवं राजस्थान राज्यों के अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु एक अंतर्राज्यीय व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। इसके माध्यम से रियल-टाइम सूचनाओं का आदान-प्रदान, मार्गों की स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण एवं अन्य आवश्यक सूचनाओं का तत्काल आदान-प्रदान किया जाएगा ।
- सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली भ्रामक सूचना / फोटो / वीडियो इत्यादि की तथ्यात्मक जानकारी एक दूसरे से साझा करके ऐसी भ्रामक सूचना का तत्काल खंडन कराया जाएगा ।
- यातायात प्रबंधन, **डायवर्जन स्कीम** से सम्बन्धित जानकारी साझा की जाएगी ।

6- यातायात प्रबन्धन सम्बन्धी कार्यवाही / निर्देश :-

- प्रमुख चौराहों व मार्गो पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, इलेक्ट्रानिक साईन बोर्ड व संकेतक चिन्ह लगाये गए है ।
- काँवड़ मार्ग पर भारी भीड़ के कारण विभिन्न राजमार्गो को सामान्य यातायात के लिए कुछ दिवसों तक प्रतिबन्धित किए जाने के **दृष्टिगत वैकल्पिक मार्ग पूर्व से चिन्हित** कर लिये गए है ।
- प्रस्तावित **बैरिकेटिंग एवं रूट डायवर्जन स्कीम** का रिहर्सल किया जा रहा है ।
- **ट्रैफिक डायवर्जन की जानकारी** / प्रेस विज्ञप्ति, विभिन्न समाचार पत्रों, लोकल चैनल, सोशल मीडिया के माध्यम से समय से जारी किया जा रहा है ।
- कांवड यात्रा के दौरान **भारी एवं हल्के वाहनो का अलग-अलग डायवर्जन** उन मार्गो पर किया जाएगा जो कावंडियो का कांवड मार्ग नही है।

- कांवडियो एंव कांवड यात्रा मे शामिल वाहनो को गंतव्य की ओर जाने के लिए **पर्याप्त पुलिस बल कांवड मार्गो एवं भीड के प्रेशर प्वाइन्टो पर लगाया** गया है।
- कांवड़ियों को **तीव्र गति से वाहन / मोटरसाइकिल नहीं चलाए जाने हेतु जागरूक** किया जा रहा है।

7- काँवड़ मार्गों पर सुरक्षा के दृष्टिगत प्रबन्धन व व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यवाही / निर्देश :-

- विभिन्न राजमार्गो/ टोल बैरियर पर कांवड़ यात्रा किस प्रकार जायेगी इस हेतु योजना बनाकर राजमार्गों के **बायीं तरफ से ही कॉवड़ियों को चलाया जाने** तथा **भण्डारे/ शिविर को सड़क से 20 फिट की दूरी पर बायीं ओर ही संचालन** की अनुमति दिए जाने के निर्देश दिए गए है।
- नदी/ नहरों के किनारे **स्थानीय गोताखोरों को समुचित ब्रीफ व प्रशिक्षित करके लगाया** जा रहा है। नदियों के किनारे समुचित बैरिकेटिंग व खतरा चिन्ह भी लगाया जा रहा है।
- **महिला काँवड़ियों की सुरक्षा हेतु समुचित प्रबन्ध** किए गए है। इनके साथ किसी भी व्यक्ति अथवा दूसरे कॉवड़ियां समूह के द्वारा अभद्र व्यवहार सम्बन्धी सूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही की जायेगी।
- प्रत्येक थाना, चौकी एवं प्रमुख चौराहों पर **पीए सिस्टम के माध्यम से व्यवस्था बनाये रखने व कांवड़ियों से सम्बन्धित संदेश** प्रसारित किया जायेगा।
- काँवड़ मार्ग में पड़ने वाले होटलों, ढाबों से काँवडियों द्वारा खाद्य सामग्री लिए जाने के दृष्टिगत गुणवत्ता बनाये रखने हेतु खाद्य विभाग से समन्वय स्थापित कर विशेष निगरानी की जा रही है। साथ ही **खाद्य सामग्री की रेट लिस्ट प्रदर्शित कराई जा रही है**, जिससे दुकानदारों द्वारा ओवर चार्जिंग नहीं की जा सके।
- काँवड़ मार्ग पर त्वरित उपचार हेतु स्वास्थ्य विभाग की टीम मय एम्बूलेंस तैनात रहेंगी।
- **24 X 7 सक्रिय पैट्रोलिंग** की व्यवस्था की जा रही है। इस सम्बन्ध में यू0पी0-112 के कर्मियों की समुचित ब्रीफिंग करते हुए उनके वाहनों का व्यवस्थापन किया गया है।

दिनांक 09.07.2024
प्रेस विज्ञप्ति 13 / 2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा वृक्षारोपण जन अभियान–2025 के अवसर पर किया गया वृक्षारोपण

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांक 09.07.2025 को पुलिस मुख्यालय गोमतीनगर विस्तार परिसर में वृक्षारोपण करते हुये **'एक पेड़ मां के नाम'** अभियान को समर्पित थीम के तहत पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ ''**वृक्षारोपण जन अभियान 2025''** का शुभारम्भ किया गया।

मा0 प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और यशस्वी **मा0 मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी** के आह्वान पर **'एक पेड़ मां के नाम'** वृक्षारोपण महाअभियान 2025 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एक ही दिन में 7 लाख पौधरोपण कर एक कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों से वृक्षारोपण जन अभियान में बढ़–चढ़ कर हिस्सा लेते हुये उत्तर प्रदेश शासन की मंशानुरूप पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतु अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस अधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण कर इस अभियान को आगे बढ़ाया गया।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण निदेशालय, पुलिस महानिदेशक पीएचक्यू, अपर पुलिस महानिदेशक कानून–व्यवस्था, अपर पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम, अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे, अपर पुलिस महानिदेशक रूल्स एण्ड मैनुअल, अपर पुलिस महानिदेशक लॉजिस्टिक, अपर पुलिस महानिदेशक मानवाधिकार, अपर पुलिस महानिदेशक विशेष जांच, अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवायें, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण, अपर पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस, अपर पुलिस महानिदेशक यातायात, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन, अपर पुलिस महानिदेशक कार्मिक, अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ सहित पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा मुख्यालय के परिसर में वृक्षारोपण किया गया।

श्री राजीव
पुलिस
(उत्तर प्रदेश)

श्री राजीव कृष्णा
पुलिस महानिदेशक
(उत्तर प्रदेश)

श्री अमिताभ यश
अपर पुलिस महानिदेशक
(कानून एवं व्यवस्था/एस.टी.एफ.)

दिनांक 09.07.2024
प्रेस विज्ञप्ति 14 / 2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

बलरामपुर अवैध धर्मान्तरण अपडेट

अवैध धर्मान्तरण के सम्बन्ध में थाना एटीएस उ0प्र0 लखनऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 08/2024 धारा 121ए/153ए/417/420 भादवि व 3, 5(1), 5(2), 5(3), 8(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के अभियोग में यूपी एटीएस द्वारा दिनांक 05.07.2025 को अभियुक्त 1-जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा 2-नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा इसके पूरे नेटवर्क, रैकेट, वित्तीय स्रोत एवं अन्य समस्त तथ्यो की गहन जानकारी हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त निर्देश के क्रम में यूपी एटीएस द्वारा मा0 न्यायालय एनआईए कोर्ट से **दिनांक 10.07.2025 से 16.07.2025 तक (एक सप्ताह) का** अभियुक्त 1-जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा 2-नीतू उर्फ नसरीन का **पुलिस कस्टडी रिमाण्ड** प्राप्त किया गया है।

दिनांक 09.07.2024

प्रेस विज्ञप्ति 15/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0–अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाल 02 तस्कर 1.540 कि0ग्रा0 चरस के साथ गिरफ्तार।

दिनांक 08–07–2025 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्कर को 1.540 कि0ग्रा0 चरस (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 10 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1. मनीष तिवारी पुत्र स्व0 संतोष त्रिपाठी नि0–रकौली पो0 खजूरी, थाना खजनी, जनपद गोरखपुर।
2. सुधीर पाण्डेय पुत्र केशव पाण्डेय नि0–पिअर्पुरवा, थाना मढौरा, सारन बिहार।

बरामदगीः–

1. 1.540 कि0ग्रा0 ग्राम चरस (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 10 लाख रूपये)
2. 1550/– रूपये नगद।
3. 01 अदद आधार कार्ड।
4. 02 अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–

स्थानः विराज टावर से 50 मीटर आगे शहीद पथ सर्विस रोड, थाना क्षेत्र विभूतिखण्ड, लखनऊ दिनांक 08–07–2025 समय 20.15 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नेपाल राष्ट्र से मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री प्रमेश कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक अधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0, लखनऊ के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 मुख्यालय में एक टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान मुखबिर खास के माध्यम से ज्ञात हुआ कि 02 व्यक्ति कानपुर से अवैध मादक पदार्थ (चरस) लेकर जनपद लखनऊ होते हुए गोरखपुर जायेगें, यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़े जा सकते हैं। मुखबिर से प्राप्त सूचना पर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए उ0नि0 श्री जावेद आलम के नेतृत्व में मुख्य आरक्षी कबीन्द्र साहनी, मु0आ0 मृत्युंजय कुमार सिंह, मु0आ0 यशवन्त कुमार सिंह व आ0चालक सुभाषचन्द्र की एक टीम गठित कर मुखबिर के बताये गये स्थान पर पहुँच कर मुखबिर की निशादेही पर उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी की गयी। उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी एन0डी0पी0एस0 एक्ट के विधिक प्राविधानों के तहत एसटीएफ के पुलिस उपाधीक्षक के समक्ष सम्पादित की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान संयुक्त रूप से बताया कि मनीष त्रिपाठी के पिता संतोष विगत ढाई वर्षों से नेपाल के वीरगंज जेल में एक एक्सीडेन्ट के प्रकरण में बन्द हैं। इसी जेल में अभि0 सुधीर पाण्डेय भी लगभग दो वर्षों तक रहा है। नेपाल वीरगंज निवासी संजीत शाह अवैध चरस का कारोबार नेपाल से उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों मे करता है, जो सुधीर पाण्डेय का परिचित है। जेल से छूटने के उपरान्त संतोष तिवारी के कहने पर सुधीर व मनीष त्रिपाठी नौबस्ता कानपुर से चरस लेने गये थे, जिसकी डील संजीत शाह द्वारा की गयी थी। इस डील में दस किग्रा0 से अधिक चरस की डील होनी थी परन्तु माल का पैसा न देने के कारण पूरी डील सम्भव नही हो पाई। वीरगंज जेल में बंद संतोष के कहने पर यह माल गोरखपुर लाया जाना था, जहां से रोहतक, हरियाणा निवासी बलजीत उर्फ ताऊ के लडके को दिया जाना था परन्तु इसी दौरान लखनऊ में पकड़ लिये गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना विभूतिखण्ड, कमि0 लखनऊ पर मु0अ0सं0–258/2025 धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना स्थानीय द्वारा सम्पादित की जा रही है।

एस0टी0एफ0–उत्तर प्रदेश एस0टी0एफ0 एवं अन्य विभागों के अधिकारियों के नाम से फर्जी ई–मेल आई0डी0 बनाकर, एवं विभिन्न जनपदों के बी0एस0ए0/डीआईओएस एवं परीक्षक नियंत्रक को कूटरचित फर्जी नोटिस भेजकर सूचनाऐं प्राप्त कर ठगी करके धन वसूलने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 08–07–2025 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को उत्तर प्रदेश एस0टी0एफ0 अन्य विभागों के अधिकारियों के नाम से फर्जी ई–मेल आई0डी0 बनाकर, एवं विभिन्न जनपदों के बी0एस0ए0/डीआईओएस एवं परीक्षक नियंत्रक को कूटरचित फर्जी नोटिस भेजकर सूचनाऐं प्राप्त कर ठगी करके धन वसूलने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर गिरोह के 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1– बजरंगी लाल गुप्ता पुत्र स्व0 झगडू प्रसाद निवासी 241/एफ मिलन चौक, शान्तिपुरम, फाफामऊ थाना फाफामऊ, जनपद प्रयागराज।

2– जयप्रकाश तिवारी पुत्र विमल तिवारी निवासी 157 फूलमामऊ पोस्ट चुरियानी, थाना राधानगर, फतेहपुर।

बरामदगी–

1– 03 अदद मोहरे, जो फर्जी बनायी गयी हैं।

2– 02 अदद मोबाइल फोन

3– 01 अदद टैब

4– विभिन्न अधिकारियों के कई फर्जी साइन किये हुए कई कूटरचित दस्तावेज

गिरफ्तारी का दिनाक/स्थान व समय–

08–07–2025 थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी क्षेत्र, समय करीब 21.15 बजे ।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को एस0टी0एफ0 के अधिकारियों के नाम से फर्जी ई–मेल आई0डी0 बनाकर, एवं बी0एस0ए0/डीआईओएस एवं परीक्षक नियंत्रक को फर्जी नोटिस भेजकर सूचनाऐं प्राप्त कर ठगी करके धन वसूलने वाले गिरोह के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई। इसी क्रम में श्री राजकुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 नोएडा गौतमबुद्धनगर के निर्देशों के अनुपालन में निरीक्षक श्री सचिन कुमार एवं उप निरीक्षक श्री सनत कुमार, एसटीएफ नोएडा के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की गयी।

अभिसूचना संकलन के दौरान निरीक्षक श्री सचिन कुमार, एस0टी0एफ0 नोएडा गौतमबुद्धनगर की टीम को मुखबिर एवं विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि जिला विद्यालय निरीक्षक, जनपद कौशाम्बी को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 के अधिकारियों के नाम से नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें कुछ शिक्षकों की गोपनीय जानकारी मांगी गयी है और सूचना शीघ्र प्रदान करने के लिए प्रतिदिन फोन से दबाव भी बनाया जा रहा है। इसी जॉच के क्रम में निरीक्षक श्री सचिन कुमार की टीम को कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के प्रयागराज में होने की सूचना प्राप्त हुई। तदोपरान्त निरीक्षक श्री सचिन कुमार की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए दिनांक 08–07–2025 को जनपद प्रयागराज पहुॅचकर फाफामऊ के एफ ब्लाक से सडक किनारे खडे दो संदिग्ध व्यक्ति बजरंगी लाल गुप्ता एवं जय प्रकाश तिवारी, उपरोक्त को समय करीब 12.10 बजे पूछताछ हेतु साथ लेकर थाना मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी पर लाया गया। पूछताछ के दौरान बजरंगी लाल गुप्ता एवं जय प्रकाश तिवारी के पास से बरामद फर्जी दस्तावेजों के आधार पर तथा सम्पूर्ण पूछताछ के उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर उक्त दोनो व्यक्तियों को समय करीब 21:15 बजे गिरफ्तार कर लिया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त बजरंगी लाल गुप्ता ने पूछताछ पर बताया कि वर्ष 2012 में एम0एड0 की पढाई पूर्ण करने के उपरान्त वह वर्ष 2013 में राजकीय हाईस्कूल पलाना कछार, मूरतगंज, जनपद कौशाम्बी में शिक्षक के रूप में भर्ती हुआ था और उसी दौरान शिकायत के आधार पर हाई–स्कूल एवं इन्टर की मार्कशीट फर्जी पाये जाने पर माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद द्वारा अभियुक्त बजरंगी लाल गुप्ता को बर्खास्त कर दिया गया था। अभियुक्त बजरंगी लाल गुप्ता ने वर्ष 2016–17 में शिक्षक भर्ती में 17 अभ्यार्थियों से नौकरी लगवाने के नाम पर रूपया लिया गया था तथा अभ्यार्थियों को फर्जी तरीके से ज्वानिंग भी करा दिया था। इसी फर्जीवाड़े के सम्बन्ध में अभियुक्त बजरंगी लाल गुप्ता जनपद बॉदा के विरूद्व थाना गरोठा, जनपद झॉसी पर मु0अ0स0 125/22 धारा 420/467/468/471 भादवि एवं थाना मऊरानीपुंर, झांसी पर मु0अ0स0 355/22 धारा 419/420/467/468/471 भादवि तथा थाना मऊरानीपुंर, झांसी पर मु0अ0स0 356/22 धारा 419/420/467/468/471 भादवि का अभियोग पंजीकृत है। इन अभियोगो में अभियुक्त बजरंगी लाल गुप्ता जेल में निरूद्व रहा है। बताया कि बर्खास्त होने के बाद वह लोगो को फर्जी नियुक्ति दिलाने का काम पैसे लेकर करने लगा और बर्खास्त अध्यापकों से बहाली करा देने के नाम पर धन वसूली का काम करना भी शुरू कर दिया। इसके अलावा अन्य लोगों को भी टारगेट करके एस0टी0एफ0 एवं शिक्षा निदेशालय के नाम से बी0एस0ए0, डीआईओएस को नोटिस भेजते थे तथा शिक्षकों को नोटिस दिखाकर उनसे धन उगाही की जाती थी। अभियुक्त बजरंगी लाल गुप्ता ऐसी नोटिसों को अपने साथी जय प्रकाश तिवारी से बनवाता था जो लेटर तैयार कर उसको दे देता था।

उल्लेखनीय है कि एसटीएफ द्वारा पूर्व में की गयी जॉच के उपरान्त 04 शिक्षकों (धीरेन्द्र कुमार सिंह 2– जितेन्द्र कुमार 3– अरविन्द कुमार 4– मौ0 इदरीश) के फर्जी दस्तावेज पाये जाने पर जिला बेसिक अधिकारी, प्रयागराज द्वारा उक्त चारों शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गयी थी। अभियुक्त बजरंगी लाल गुप्ता ने अपने साथी जय प्रकाश तिवारी के साथ मिलकर उक्त चारो शिक्षकों के दस्तावेज सही पाये जाने का कूटरचित प्रमाण पत्र, वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर का बनवा लिया था, जिसके आधार पर इन अभियुक्तों द्वारा इन चारो शिक्षकों की बर्खास्तगी को निरस्त कराने के प्रयास में थे।

अभियुक्त जयप्रकाश तिवारी ने पूछताछ पर बताया कि उसके पिता जनपद फतेहपुर के बी0एस0ए0 कार्यालय में चालक का काम करते थे और उनकी जान पहचान के कारण वह बी0एस0ए0 कार्यालय फतेहपुर में नियुक्त बाबू राजेश तिवारी के साथ टाइपिंग का कार्य करने लगा था। उसकी मुलाकात बी0एस0एस0 फतेहपुर के कार्यालय में बजरंगी लाल गुप्ता से हुयी थी और तभी से वह बजरंगी लाल गुप्ता के साथ रहकर काम कर रहा है। वह बजरंगी लाल गुप्ता के कहने पर विभिन्न अध्यापकों के फर्जी दस्तावेज एवं कार्यालय के फर्जी नोटिस बनाकर देता था और बजरंगी लाल गुप्ता इन नोटिसो को सम्बन्धित को भेजता था तथा विभिन्न विभाग के अधिकारियों को एस0टी0एफ0 एवं अन्य विभाग के अधिकारी के नाम से फोन करता था।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर के विभिन्न अधिकारियों के नाम की मोहरे भी बरामद हुई हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों की अन्य अपराधिक गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

<u>अभियुक्त बजरंगी लाल गुप्ता के विरूद्व निम्न अभियोग का पंजीकृत होना ज्ञात हुआ हैः–</u>

क्र0सं0	मु0अ0स0	धारा	नाम थाना	नाम जनपद
1	39/18	419/420/467/468/471 भादवि	रानीगंज	प्रतापगढ़
2	282/18	419/420/420/467/468/471 भादवि	गोपीगंज	भदोही
3	125/22	420/467/468/471 भादवि	गरोठा	झांसी
4	355/22	419/420/467/468/471 भादवि	मउरानीपुर	झांसी
5	356/22	419/420/467/468/471 भादवि	मउरानीपुर	झांसी
6	182/25	319, 338, 339, 318(4), 336(3), 336(4), 340(2) बीएनएस एवं 66 डी आई0टी0 एक्ट	मंझनपुर	कौशाम्बी

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी पर मु0अ0स0 125/2025 धारा 319, 338, 339, 318(4), 336(3), 336(4), 340(2) बीएनएस एवं 66 डी आई0टी0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

जनपद बहराइच/थाना रूपईडीहा

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 80 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 100 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

दिनांक 08.07.2025 को थाना रूपईडीहा व एसएसबी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम रूपईडीहा रेलवे लाइन के पास से अभियुक्त राजन उर्फ राजा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 80 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 100 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना रूपईडीहा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजन उर्फ राजा निवासी रजनापुर थाना रामनगर जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1–लगभग 80 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 100 ग्राम अवैध स्मैक।

- **कमिश्नरेट वाराणसी/थाना चेतगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 06 अभियुक्तो को आजीवन/05 वर्ष के कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद वाराणसी द्वारा थाना चेतगंज पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–राजेन्द्र 2–रामविचार 3–रजत 4–अभियुक्ता को धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 18–18 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 5–महेन्द्र प्रताप 6–अच्छेहसन उर्फ नजमुल को धारा 201 भादवि के अन्तर्गत 05–05 वर्ष के कारावास व 05–05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हापुड़/थाना सिम्भावली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 15–15 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हापुड़ द्वारा थाना सिम्भावली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 5जे(2)/6 पॉक्सो

एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–राहुल 2–गौरव 3–मनवीर उर्फ मोनू 4–अजयवीर उर्फ अज्जू को आजीवन कारावास व 15–15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना हैदरगढ़ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 01 लाख 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना हैदरगढ़ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि व 7 सीएलए एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–केशवराम 2–सोनू को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 500 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयभ्

———————